

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फुल टाइम) जोधपुर

श्री मन्दी बुनीकरण बनाम कानाराभ शोरा

स मुकदमा नं. 53, 88, 188 R.A. सं. 295 सन् 2019

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3/12/20 फावली आज पेरा हुई। प्रार्थी/वकील उपस्थित। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री रोशनलाल उपस्थित। वादी वकील प्रतिवादी सं. 1 से 2 रजि. A.D. डाक द्वारा भेजे गये थे। परन्तु डाक प्रत्यर्की लेने से मना किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के सम्मन शामिल माना जाता है। वादी वकील श्री कानाराभ शोरा ने दावा विज्ञापन एवं मिसल क्लर्क का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र में वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी समझौदा से रजिनामा हो जाने के कारण वादी वाद नहीं चलाना चाहते हैं। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 उपस्थित होकर सहमति जाहिर की गई। वादी का वाद अरिथे विज्ञापन किया जाता है। फावली फौजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर ही।

*(Handwritten signature)*  
कायदा

*(Handwritten signature)*



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फुल टाइम) जोधपुर